



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 450]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRHAAYANA 18, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 2 दिसम्बर, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/24/136/2016.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए के साथ पठित धारा 3 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 16(ग) – निम्नलिखित वाक्य को हटाया जाए :**

"समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार न्यूनतम समनुदेशित पूँजी का निवेश किया जाएगा।"

3. विनियम 28(2) – समनुदेशित पूँजी – निम्नलिखित वाक्य को हटाया जाए :
"इस राशि का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।"
4. विनियम 28(5) – बाह्य स्रोत का उपयोग (आउटसोर्सिंग) – शब्द "निवेश" को हटाया जाए।
5. विनियम 28(7) – निवेश –
क. शब्द "निवेशयोग्य" को शब्द "निवेश" से प्रतिस्थापित किया जाए।
ख. निम्नलिखित पैराग्राफ को हटाया जाए
"इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'निवेशयोग्य परिसंपत्तियों' के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
क. भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाली देयताओं के अनुरूप परिसंपत्तियाँ अथवा भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय की देश में रखी जानेवाली प्रीमियम की राशि, जो भी अधिक हो, और
ख. प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) विनियमों के अनुसार गणना की गई ऋण-शोधन क्षमता का मार्जिन।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष
[विज्ञापन.III/4/असा./340/(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
Hyderabad, the 2nd December, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (Second Amendment) Regulations, 2016

F. No. IRDA/Reg./24/136/2016.— In exercise of the powers conferred by section 3 read with 114A of the Insurance Act, 1938, and section 14 read with 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (Second Amendment) Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
2. Regulation 16(c) – The following sentence may be deleted.
"The minimum assigned capital shall be invested in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time-to-time."
3. Regulation 28(2) – Assigned Capital – The following sentence may be deleted.
"This amount shall be invested in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time"
4. Regulation 28(5) – Outsourcing – The word "Investment" may be deleted.
5. Regulation 28(7) – Investment –
a. The word "investible" may be replaced by the word "investment"
b. The following paragraph may be deleted
"For the purposes of these regulations, "Investible Assets" include the following:

- a. *Assets corresponding to the liabilities arising out of Indian reinsurance business or the amount of premium retained in the country of the Indian reinsurance business, whichever is higher, and*
- b. *Margin of solvency computed in accordance with the solvency regulations issued by the Authority.”*

T.S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III /4/Exty./340/(161)]